

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

संख्या- 29124 प्र.पत्र

केलाश डोग्री शोहनलाल शर्मा किलाला फूलानाई माताभीमन्दिरकेपारा भगतानपुरा तहसील माण्डल (बींगरा) - प्रार्थी

बनाम

सुरेश डोग्री शोहनलाल शर्मा किलाला फूलानाई माताभीमन्दिरकेपारा भगतानपुरा तहसील माण्डल (बींगरा) (पत्थरगढी प्रकरण) विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19-3-24

:: आदेश ::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते त खाते की आराजी नं० 2234, 2236, 2237, 2282, 2283, 2293, 2294, 2344, 5692, 5694, 5696, 5698 कुल किता 12 रकबा 2-1161 हैक्टियर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही प्राये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.02.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों पर हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की नं० 2234, 2236, 2237, 2282, 2283, 2293, 2294, 2344, 5692, 5694, 5696, 5698 कुल किता 12 रकबा 2-1161 हैक्टियर चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता रगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक भगतानपुरा को 800.-/- रुपये /- फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार प्रार्थी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल